राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प. 10(707) परि/स.सु./स.सु.बोर्ड/2015 / 566 जयपुर, दिनांक 13/01/2016

सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की समीक्षा करने के संबंध में गठित "मंत्री मण्डलीय उपसमिति" की द्वितीय बैठक दिनांक 07.01.2016 का कार्यवाही विवरण

राज्य में नियमित रूप से सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की समीक्षा हेतु गठित मंत्री मण्डलीय उपसमिति की द्वितीय बैठक दिनांक 07.01.2016 को सायं 04 बजे माननीय मंत्री, गृह और न्याय, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की अध्यक्षता में समिति कक्ष संख्या 1, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में उपसमिति के सदस्य माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग भी उपस्थित थे।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

बैठक में सर्वप्रथम परिवहन विभाग द्वारा राज्य में सड़क सुरक्षा के परिदृश्य, उपसमिति की गत बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की पालना तथा अन्य एजेन्डा बिन्दुओं पर पर प्रस्तुतीकरण दिया गया जिस पर विस्तृत विचार विमर्श एवं चिन्तन/मंथन के पश्चात् निम्न निर्देश दिये गये :–

1) जिन जिलों में ज़िला कलक्टर्स द्वारा सड़कों पर गतिसीमा का निर्धारण करते हुए अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गई है, उनके द्वारा दिनांक 26.01.2016 से पूर्व अनिवार्य रूप से गतिसीमा अधिसूचना जारी करने के सख्त निर्देश दिए गए।
2) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित गतिसीमा के चिन्ह विशेष रूप से राजमार्गों पर सड़क उपयोगकर्ताओं की सुलभ जानकारी/पालना हेतु नियमानुसार निश्चित अंतराल पर तत्काल प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए गए।
3) तेज गति से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से वाहनों पर स्पीड गवर्नर लगवाने संबंधी नियमों की पालना पूर्णतः सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
4) वर्ष 2014 में पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित 184 ब्लैक स्पॉट्स को सड़क सुरक्षा सप्ताह, 2016 (18 से 24 जनवरी) के दौरान दुरूस्त करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तत्काल प्रस्ताव तैयार करके बजट आवंटन कराते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग द्वारा ब्लैक स्पॉट्स के दुरूस्तीकरण कार्य में संबंधित थानाधिकारी को भी सम्मिलित करने का आग्रह किया गया, जिस प्रस्ताव को उपसमिति द्वारा अनुमोदन किया गया।
5) सड़क सुरक्षा सप्ताह, 2016 के दौरान दिनांक 22.01.2016 को राज्य की सभी नगरीय सीमाओं में दिनांक 02.10.2015 को पंचायतों में आयोजित अभियान की तर्ज पर संबंधित विभागों के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा जनजागृति अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
6) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर दिल्ली से ब्यावर तक 6 लेन हाईवे पर लेन में वाहनों के चलने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा कर पूरे राजमार्ग पर विभिन्न स्थानों पर साईनेज से प्रदर्शित किये जावें। भारी वाहन द्वितीय एवं तृतीय लेन में चलें तथा किसी

भी स्थिति में प्रथम लेन में भारी वाहन प्रथम लेन में न चलें इसके लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जावे। प्रथम लेन हलके मोटर वाहनों के संचालन हेतु रहे।

7) राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में दुपहिया वाहनों पर वाहन चालक एवं पीछे बैठने वाली सवारी के लिये लागू की गई हेलमेट की अनिवार्यता सख्ती से क्रियान्वित की जावे।

8) दुपहिया वाहनों की अधिकांश दुर्घटनाएं अधिक गति से वाहन चालन के कारण होती हैं। इनके लिए नियमों में गति सीमा अधिकतम 50 कि.मी. प्रति घंटा निर्धारित है जिसकी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

9) वाहन चलाते समय वाहन चालक द्वारा मोबाईल पर बात करने या मैसेज करने से भी दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। इस प्रवृति पर अंकुश लगाने के लिए, निर्देशों के उल्लंघन पाये जाने पर, लापरवाही पूर्वक वाहन चालन के लिए कार्यवाही तथा मोबाईल जब्त करने संबंधी दिशानिर्देश जारी करें।

10) सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विशेष रूप से निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया :–

(क) पुलिस विभाग द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जावे।

(ख) पुलिस विभाग द्वारा वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करने वालों का मोबाईल जब्त करने की कार्यवाही की जावे।

(ग) पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मानकों से निम्न स्तर (नॉन आई.एस.आई. स्टैण्डर्ड) के हेलमेट विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

(घ) राज्य के 6 लेन, 4 लेन मार्गों पर लेन ड्राईविंग सुनिश्चित कराई जाए तथा एन.एच.ए. आई के सहयोग से नियमानुसार निश्चित अंतराल पर लेन ड्राईविंग संबंधी साईन बोर्ड लगवाए जाए।

(ड.) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार आवश्यक साईन बोर्ड/माईल स्टोन/रिफ्लेक्टर्स/फ्लोरोसेंट पेंट इत्यादि लगाने का कार्य सडक सुरक्षा सप्ताह, 2016 से पूर्व कराया जाए।

(च) बिना फिटनेस वाहनों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

(छ) अधिक से अधिक गैर मोटर चलित वाहनों एवं मोटर वाहनों पर नियमानुसार रिफ्लेक्टिव टेप लगाये जाए।

(ज) उपरोक्त के अतिरिक्त सड़क सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध नियमित कार्यवाही की जाए।

11) गृह विभाग द्वारा राज्य के सिनेमा घर संचालकों द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी स्लाईड निःशुल्क दिखाने हेतु सड़क सुरक्षा सप्ताह, 2016 से पूर्व निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया।

12) राज्य के शहरों/नगरों में चुनिंदा भारी वाहनों का अनावश्यक आवागमन एवं उसके फलस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा पुलिस एवं परिवहन विभाग से परामर्श कर इस प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।

13) स्वास्थ्य विभाग की आरोग्य राजस्थान योजना में दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों को भी सम्मिलित कराकर लाभन्वित करने का निर्णय लिया गया।

14) सरदार पटेल पुलिस दाण्डिक एवं न्यायिक विश्वविद्यालय, जोधपुर के जयपुर स्थित सेन्टर फॉर रोड सेफ्टी के माध्यम से राज्य में सड़क सुरक्षा पर विशुद्ध रूप से कार्य करने वाले नवगठित एन.जी.ओ. के सदस्यों की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजना करने का निर्णय लिया गया। उक्त कार्यशाला में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेने का भी निर्णय लिया गया।

15) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव
(सदस्य सचिव, मंत्रीमण्डलीय उप समिति)

क्रमांकः– प. 10(707) परि/स.सु./स.सु.बोर्ड/2015/567-80 जयपुर, दिनांक 13-01-2016

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री सार्वजनिक विभाग निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
12. निजी सहायक, समस्त जिला कलक्टर्स।
13. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग।
14. रक्षित पत्रावली

अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

माननीय मंत्री, गृह विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 07.01.2016 को शासन सचिवालय में राज्य में नियमित रूप से सड़क सुरक्षा सम्बन्धी किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करने के सम्बन्ध में गठित "मंत्रीमण्डलीय उप समिति" की द्वितीय बैठक में उपस्थिति का विवरण

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग का नाम
1.	श्री राजेन्द्र राठौड़	माननीय मंत्री	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
2.	श्री यूनुस खान	माननीय मंत्री	सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग
3.	श्री ए. मुखोपाध्याय	अतिरिक्त मुख्य सचिव	गृह विभाग
4.	श्री जी.एन.शर्मा	शासन सचिव	सार्वजनिक निर्माण विभाग
5.	श्री आनंद कुमार	शासन सचिव एवं आयुक्त	पंचायती राज विभाग
6.	श्री मनोज भट्ट	महानिदेशक पुलिस	पुलिस विभाग
7.	श्री प्रदीप कुमार व्यास	अति. महानिदेशक, पुलिस, यातायात	पुलिस विभाग
8.	डॉ आर.एस.छींपी	अतिरिक्त निदेशक (एच.ए.)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
9.	श्री मुकुल राज	अपर परिवहन आयुक्त (नियम)	परिवहन विभाग
10.	श्री हंस कुमार शर्मा	अपर परिवहन आयुक्त (आई.टी)	परिवहन विभाग
11.	श्री सत्तार खार	अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)	परिवहन विभाग
12.	श्री महेन्द्र पारख	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री	गृह विभाग
13.	श्री जमील ए. कुरैशी	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री	सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग
14.	श्रीमती निधि सिंह	उप परिवहन आयुक्त (स.सु.)	परिवहन विभाग
15.	श्री रजनीश शर्मा	जन सम्पर्क अधिकारी	परिवहन विभाग
16.	श्री तेजपाल	निजी सहायक, माननीय मंत्री	सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग
17.	श्री जी.एल.राव	मुख्य अभियंता (सड़क सुरक्षा)	सार्वजनिक निर्माण विभाग
18.	श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड़	जिला परिवहन अधिकारी (स.सु.)	परिवहन विभाग